दां.प्र.क्र. 773/2022 शा० वि० सुनील बरेठ

Witness No.....02.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken the.....09-12-2022.....day of.....Witness's apparentage.....35.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक.....my name is.....सिंधु बाइ साहू.....

Son of.....लखन लाल साहू.....occupation.....गृहिणी.....

Address.....साकिन कलमी, थाना मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छ.ग.....

प्रारंभ समय 03:05 बजे।

1– मै आरोपीगण को नही जानती हू। मै प्रार्थी लखन लाल साहू को पति होने के कारण जानती हूॅ।

2– घटना दिनांक 14–01–2022 को हमारे घर मे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी किया गया था। उक्त घटना मे सोने एवं चांदी के जेवर जिसमे हार, बाली, नथ, अंगूठी, नथनी, मंगलसूत्र, चांदी का पायल, बिछिया, हाफ करधन तथा 12 हजार रूपये नगद चोरी हुआ था। उक्त् चोरी की घटना दिन के लगभग 2–3 बजे के मध्य हुयी थी। मै घटना के दौरान अपने पुराने घर चली गयी थी। चोर के द्वारा घर के सामने लगे दरवाजे के ताले को तोड़कर चोरी किया गया था। उक्त सभी सामान आलमारी मे रखा हुआ था, जिसे चोर के द्वारा तोड़ दिया गया था।

//प्रतिपरीक्षण हेतु आरोपी द्वारा श्री ए. आर. खान अधिवक्ता उपस्थित//

3– मै आरोपी को नही पहचानती हूॅ। यह कहना गलत है कि किसने चोरी किया था मै यह नही जानती हूॅ। स्वतः कथन किया कि सुनील बरेठ और दो अन्य व्यक्ति चोरी किये है। यह कहना सही है कि पुलिस के बताये अनुसार मुझे आरोपीगण का नाम की जानकारी हुयी। चोरी के दुसरे दिन पुलिस वाले सुबह जांच करने के लिये आये थे। पुलिस वाले मेरा बयान लिये थे। मेरे घर मे चोरी की जानकारी मुझे मेरा बेटा ने दिया था। मै यह नही बता सकती कि चोरी हुये नगदी रकम 12 हजार रूपये मे कितने कितने के नोट थे। यह कहना सही है कि मैने चोरी होते हुये नही देखा है।

समाप्ति समय 03:13 बजे।

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
चेतना ठाकुर
न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
चेतना ठाकुर
न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

दां.प्र.क्र. 773/2022 शा० वि० सुनील बरेठ

Witness No.....01.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken the.....09-12-2022.....day of.....Witness's apparentage.....42.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक.....my name is.....लखन लाल साहू.....

Son of.....खीखराम साहू.....occupation.....व्यवसाय.....

Address.....साकिन कलमी, थाना मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छ.ग.....

प्रारंभ समय 12:15 बजे।

1– मै आरोपीगण को घटना के पूर्व नही जानता था, परन्तु घटना के पश्चात से उनको पहचानता हूॅ।

2– घटना दिनांक 14 जनवरी 2022 को मै मोहतरा टेंट लगाने गया हुआ था। उसी दौरान मेरे घर मे चोरी हो गया था। मेरे घर से सोना, चांदी के जेवर एवं 12 हजार रूपये नगद चोरी हुआ था। सोने मे हार, कान की बाली, नथ और मंगलसूत्र आदि सामान था। चांदी मे पायल, हाफ करधन, अंगूठीया थी। उक्त घटना दोपहर को लगभग 2–3 बजे के बीच की है। चोरो के द्वारा मेन गेट मे लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया था। चोरी की जानकारी मेरे पड़ोसी के द्वारा मेरे बच्चे एवं घर वाली को दी गयी थी। मुझे जानकारी नही है कि मेरे घर मे किसके द्वारा चोरी किया गया था। मेरे द्वारा थाने मे लिखित शिकायत की गयी थी, जो प्र०पी०–01 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज किये थे, प्रथम सूचना पत्र प्र०पी०–02 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3– पुलिस वाले मेरे समक्ष किसी भी स्थान का नक्शा तैयार नही किये थे। पुलिस वाले आरोपीगण को थाने मे बुलाये थे तब वे लोग मेरे घर मे चोरी करना कुबुल किये थे। इसके अतिरिक्त अन्य कोइ कार्यवाही मेरे समक्ष नही हुयी थी। साक्षी को पहचान कार्यवाही प्र०पी०–03 से प्र०पी०–05 तक दिखाये जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। मुझे चोरी हुये सामान न्यायालय से सुपुर्दनामे पर प्राप्त हो चुका है परन्तु सोने का कानफूल एवं नगद रकम प्राप्त नही हुआ है। साक्षी को प्रकरण मे संलग्न जप्तशुदा आभूषणो से संबंधित फोटोग्राफ आर्टिकल ए–1 एवं ए–2 दिखाये जाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त जेवर मेरे है।

टीपः– अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर, सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी, विचारबाद अनुमति दी गई।

4– यह कहना सही है कि चोरी हुये जेवरो की पहचान कार्यवाही तहसीदार के द्वारा मुझसे करायी गयी थी जिसमे मैने अपने चोरी हुये जेवरो को पहचाना था। यह कहना सही है कि प्र०पी०–1 मे उल्लेखित जेवर एवं रकम मेरे घर से चोरी हुये थे। यह कहना सही है कि उक्त

चोरी हुये सामान आलमारी मे रखा हुआ था। यह कहना सही है कि पुलिस वाले मेरे बताये अनुसार घटना स्थल का नक्शा प्र०पी०–6 तैयार किये थे।

//प्रतिपरीक्षण हेतु आरोपी द्वारा श्री ए. आर. खान अधिवक्ता उपस्थित//

5– यह कहना सही है कि मै टेन्ट का काम करता हूॅ। मै सुबह 08 बजे टेन्ट लगाये ग्राम मोहतरा पीअप एवं अपने मोटर सायकल से गया हुआ था। मेरे पीकअप का नंबर सी.जी. 11 ए.डी. 3779 है। मै जब गया तब मेरी पत्नि और बच्चे मेरे घर मे थे। मेरे पत्नि एवं मेरे बच्चे लगभग 11 बजे मेरे पुराने घर मे गये। उक्त समय मै अंदाजे से बता रहा हूॅ। मेरे छोटे भाइ की बेटी ने लगभग 03 बजे मुझें फोन करके घटना की सूचना दी। आज मै बता नही सकता कि उसने किस मोबाइल नंबर से मुझे फोन किया था। मै लगभग 03:15 बजे घटना स्थल पर पहुच गया था।

6– मेरे घर से ग्राम मोहतरा जहा मै टेन्ट लगाये गया था उसकी दुरी 4–5 किलोमीटर है। मैने चोरी हुये सामानो का रसीद थाना मे पुलिस को दिया था। घटना के दिन जब मै अपने घर पहुचा तो मेरे पहुचने के पहले भीड़ इकटठा हो गयी थी, जिसमे गांव के बहुत सारे व्यक्ति थे, मै उनका नाम नही बता सकता। यह कहना गलत है कि प्र०पी०–1 कि लिखित रिपोर्ट मेरे द्वारा अधिवक्ता से लिखाया गया है। यह कहना सही है कि प्र०पी०–02 को मैने थाने मे पढ़ा था। मैने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय यह बताया था कि कितना तोला जेवहरात चोरी हुआ था, परन्तु एफ आइ आर मे नही लिखा होगा तो उसका कारण मै नही बता सकता।

7– यह कहना सही है कि मैने अपने लिखित शिकायत मे उक्त जेवहरात 60 हजार रूपये का होना नही बताया था, परन्तु पुलिस द्वारा एफ आइ आर मे लिखा गया है। स्वतः कहा कि पुलिस द्वारा जुमला अनुमानित किमत एफ आइ आर मे लिखा गया है। नगद राशि बारह हजार रू० मे कितने कितने का नोट था मैने पुलिस वालो को नही बताया था। एफ आइ आर के दुसरे दिन पुलिस वाले मेरे गांव मे जांच करने आये थे। पुलिस वाले मेरा बयान लिये थे। जुलाइ 2022 मे मुझे मेरे चोरी हुये सामान सुपुर्दनामा मे न्यायालय के आदेश से मिल चुका है। प्र०पी०–03, 04 एवं प्र०पी०–05 पर मेरे द्वारा तहसील आफिस मे हस्ताक्षर किया गया है। जब मैने हस्ताक्षर किया तब उसमे सामान लिखा हुआ था। पहचान कार्यवाही घटना के लगभग 4–5 माह बाद हुयी थी।

समाप्ति समय 01:13 बजे।

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
चेतना ठाकुर
न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
चेतना ठाकुर
न्या. मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)